न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 79/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामदेवा उम्र 55 वर्ष पुत्र गणपत जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 परमाराम पुत्र गणपत।
2 सुरजी देवी पत्नी गुल्ला उर्फ गुल्लाराम।
3 राजेन्द्र दत्तक पुत्र गुल्ला उर्फ गुल्लाराम।
4 हरलाल पुत्र गणपत।
5 खींवाराम पुत्र उदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 पटवारी हल्का पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व अन्तिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा आर.ए.एस. दावा उनवानी परमाराम आदि बनाम रामदेवाराम आदि मु.नं. 17/2012 दिनांकित 28.04.2016

उपस्थित

1. श्री फूलचन्द थालोड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार राड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः—12.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी परमाराम, सुरजीदेवी, राजेन्द्र की और से विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 71/1,63 वाके ग्राम पालड़ी के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की और से जवाब एवं प्रतिदावा पेश किया गया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई 16.06.2015 को विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये गये विभाजन प्रस्ताव आने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आपत्ति खारिज कर अन्तिम डिक्री जारी की है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 71/1 व 63 ग्राम पालड़ी के सन्दर्भ में निर्णय किया गया है प्रकरण अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर पक्षकारों की संयुक्त काश्त की भूमि खसरा नम्बर 64/4 और 64/3 वाके ग्राम पोसाणी के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा गया था विचारण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम का कोई जवाब पेश नही हुआ तहसीलदार के प्रस्ताव में मौके पर कब्जा नही बताया गया है काउन्टर क्लेम की मद संख्या 10 में आपत्ति पेश की गई जिसे सारहीन बताया गया है डिक्री में 2 नम्बर पक्षकार गुल्ला पुत्र गणपत अंकित है जिसका डिक्री से पूर्व देहान्त हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चुका था वाद में गुल्ला नाम का पक्षकार नही है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है मनमाना है अत अपील स्वीकार की जावें एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ डिक्री जारी हुई है। विभाजन में ऐसा हो सकता है मृत व्यक्ति दावे में पक्षकार नही है उसको उसके हिस्से की जमीन दी गई है। नामान्तकरण होकर उसके वारिसान रिकार्ड पर आने है खसरा नम्बर 71/1 में वादी का कोई कब्जा नही है विभाजन के बाद में कब्जा देखना जरूरी नही है बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन होता है परमाराम कर्ता खानदान था कर्ता खानदान सब कुछ अपने परिवार के हित में ही करता है रिकार्ड से बंटवारा हुआ है यहा तनकी बनाने और साक्ष्य लेने की आवश्यकता नही थी विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वाद पेश होने के उपरान्त प्रतिवादी की और से जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर पोसाणी गांव की भूमि खसरा नम्बर 64/4 व 64/3 को भी शामिल कर अनुतोष चाहा गया था। विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को वाद कथन व जवाब दावे, काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई निर्णय पारित करना चाहिए था। किन्तु विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया है तनकीयात कायम नही की है काउन्टर क्लेम के बारे में कोई भी आदेश पारित नही किया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री मनमाना व विधि विरूद्व प्रतीत होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन, जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम करे उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त करें बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/X/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर